

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री काली उर्फ सरोज पिता मोहनलाल निवासी खेडा भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 310/25 (वाद) GCMS No. – 2025/686

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 231 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादीया का नाम काली पिता मोहनलाल के बजाय काली उर्फ सरोज पिता मोहनलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

